पत्र सं0— वि॰प्रा॰ (II) य[1] 27 / 2004—

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/ पटना, दिनांक

विषय— इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर—तारामंडल, पटना को वित्तीय वर्ष 2013—14 से 2018—19 तक का व्यवहृत विद्युत प्रभार के बकाये भुगतानार्थ कुल रू॰ 1,98,75,000=00 (एक करोड़ अंठानवे लाख पचहतर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018—19 में रू॰ 42,50,000=00 (बेयालीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेशः— स्वीकृत।

राज्य सरकार ने परियोजना निदेशक, इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर—तारामंडल, पटना के पत्रांक—401, दिनांक 06.06.2019 के आलोक में इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर—तारामंडल, पटना को वित्तीय वर्ष 2013—14 से 2018—19 तक का व्यवहृत विद्युत प्रभार के बकाये भुगतानार्थ (हजार के गुणक में) कुल रू॰ 1,98,75,000=00 (एक करोड़ अंठानवे लाख पचहतर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018—19 में रू॰ 42,50,000=00 (बेयालीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019—20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष— 2203— तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष— 00, लघुशीर्ष— 004—अनुसंधान, मांग संख्या—43, उपशीर्ष—0101— बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेसिंग केन्द्र / इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर प्लेनेटोरियम, पटना" के अधीन 31 06 सहायक अनुदान—गैर वेतन विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43—2203000040101 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (त॰) (निदेशालय), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा CFMS प्रणाली के माध्यम से परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019—20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या— 3758 वि०, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक— 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना द्वारा प्राप्त उक्त राशि का व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ —
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) य[1] –27 / 2004– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) य[1] –27 / 2004– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) य[1] –27 / 2004– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना/ इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर–तारामंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) य[1] –27 / 2004– 1020 /पटना, दिनांक– 13.3.2020

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/उप निदेशक (त॰)/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.3.2020

सरकार के उप सचिव